

श्री नितेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-18/2/3754 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखण्ड के सरसोनी पंचायत, कसबा प्रखंड के भमरालगंज पंचायत एवं गुड़ही पंचायत तथा श्रीनगर प्रखंड के खोखा दक्षिण पंचायत में ओरेला घाट के पास होकर बहने वाली सौरा नदी अपने निर्धारित प्राकृतिक मार्ग से विचलित होकर उपजाऊ कृषि भूमि का निरंतर कटाव कर रही है, इस नदी के मार्ग परिवर्तन से प्रभावित पंचायतों में आवासीय मकानों, मंदिरों एवं प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे 10,000 से अधिक परिवार प्रभावित हो रहे हैं;</p> <p>यदि हाँ तो सरकार सौरा नदी के तटबंध (Embankment) निर्माण, गाद (Sediment) की सफाई तथा नदी को उसके मूल मार्ग पर वापस लाने हेतु कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत सौरा नदी श्रीनगर प्रखंड से प्रारंभ होकर जलालगढ़ प्रखंड, कसबा प्रखंड एवं पूर्णिया पूर्व प्रखंड होते हुए कटिहार जिला में कारी कोसी नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है।</p> <p>जलालगढ़ प्रखंड के सरसोनी पंचायत सौरा नदी के तट से औसतन 1200 मीटर की दूरी पर, कसबा प्रखंड के भमरालगंज पंचायत 800 मीटर की दूरी पर तथा गुड़ही पंचायत अंतर्गत मटकोपा ग्राम एवं कमरैली ग्राम क्रमशः 20 मीटर एवं 40 मीटर की दूरी पर तथा श्रीनगर प्रखंड के खोखा दक्षिण पंचायत में ओरेलाघाट के निकट ओरलाबाड़ी ग्राम औसतन 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित है।</p> <p>बाढ़ 2025 में प्रश्नगत स्थलों के समीप नदी तट का आंशिक क्षरण हुआ है, कटाव नहीं है। वर्तमान में नदी के तल की गहराई प्राकृतिक सतह स्तर (एन0एस0एल0) से औसतन 2 मीटर से 2.5 मीटर है। बाढ़ अवधि के दौरान अत्यधिक वर्षापात होने पर नदी का पानी प्राकृतिक सतह स्तर पर फैलता है तथा नदी में जलश्राव कम होने पर पानी स्वतः नदी में वापस चला जाता है।</p> <p>ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में भी पाया गया की प्रश्नगत स्थलों पर नदी अपने मूल मार्ग में प्रवाहित हो रही है।</p> <p>वर्तमान में प्रश्नगत स्थलों पर सौरा नदी के गाद सफाई तथा तटबंध निर्माण की तकनीकी रूप से आवश्यकता नहीं है।</p> <p>बाढ़ अवधि 2026 में प्रश्नगत स्थल के समीप कटाव होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जायेगा।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-138/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/3754 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-138/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-138/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-138/2026-

1236

पटना, दिनांक-

17/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signature
16/03/26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Signature
16/03/26